उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्याः-237/2015-200/नौ-5-2015-121बजट/2014
लखनऊः दिनांकः 14 जुलाई, 2015

संशोधन

जनपद इलाहाबाद में बक्शी बांध पम्पिंग स्टेशन की पुनर्गठन परियोजना निर्धारित लागत रू0 566.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त की धनराशि को अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश सख्या-194/2015-3223/नौ-5-2015-121बजट/2014, दिनांक 15.06.2015 के प्रस्तर-1 की चौथी लाइन जो निम्न तालिका के कालम-1 में अंकित है, को कालम-2 के अनुसार संशोधित किया जाता है :-

कालम-1	कालम-2
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि।	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 152.47 लाख की धनराशि।

2- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 15.06.2015 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष प्राविधान/शर्ते यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-2021/दस-2015, दिनांक 14 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

रंग बहादुर सिंह
उप सचिव

संख्या-237/2015-200/नौ-5-2015-121बजट/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय,इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
6- मुख्या अभियन्ता (इलाहाबाद क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
7- महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम इलाहाबाद।
8- अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम इलाहाबाद।
9- नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ।
10- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

u.s. rathore